



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 1050 ग्राम अवैध सूखा गांजा व परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं वाहन चेकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर दिनांक 02.09.2025 की शाम को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के पडुई मोड़ के पास से एक व्यक्ति को अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके कब्जे से 1050 ग्राम अवैध सूखा गांजा व अवैध गांजे के परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी को बरामद किया गया।

बरामदगी-

- 1050 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 01 स्कूटी अवैध गांजे के परिवहन में प्रयुक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गुलाब सिंह पुत्र छेदीलाल पाण्डे निवासी ललिया का पुरवा मजरा रिसौरा थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 726/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दीलीप कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार शर्मा
3. कां0 दीपक दुबे
4. कां0 अरमान अली